न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 03/2016

श्री सूरजकरण पुत्र श्री संग्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरलांल पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) सपठित नियम 20(2)
राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः

1. श्री मदन लाल गुर्जर, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शान्ति प्रकाश ओझा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

–: आदेश :–

दिनांक 19.07.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार 2017'' का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.11.1975 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम देवलियाकलां के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 4051 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की तथा न ही आंवटन हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की तथा चुपचाप तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया। वरवक्त आवंटन सलाहकार समिति का कोरम भी पूरा नहीं था। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का मौके पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन के समय विवादित भूमि आवंटन हेतु खाली नहीं थी। प्रार्थी पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि को अपने हक में आंवटन/नियमन करवाने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियमों में प्राविधित प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन किया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी ने वरवक्त आवंटन अपने आप को अनुसूचित जाति बलाई होना बताते हुए विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया है जबकि वह बलाई न होकर गर्ग जाति का है किन्तु उसने तथ्यों को छिपा कर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया एवं आगे जाकर भूमि का उसने अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने राजकीय भूमि का हड़प करने की नीयत से फर्जी तरीके से आवंटन करवा लिया। उन्होंने आगे कथन किया कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 सद्भाविक कृषक न होकर राजकीय चिकित्सालय विजयनगर में कार्यरत था। जबकि सरकारी कर्मचारी के पक्ष में किसी भी प्रकार से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1978 पेज 70 एवं आर.आर.डी. 2013 पेज 456 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवंटन नियमों के विपरीत जाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे, मनगढंत एवं बेबुनियाद है। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात् आवंटन नियमन की पूर्ण पालना कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आंवटन किया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर पूर्व से ही उनका कब्जा काश्त था तथा भूमि मौके पर आवंटन हेतु रिक्त भूमि नहीं थी। जबकि पत्रावली से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 26.11.1975 को किया गया है एवं मौके पर आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया जाकर गैर खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी भी प्रकार से तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि का आवंटन नहीं करवाया है बल्कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी किसी भी तरह से नौकरी पेशा नहीं था। अप्रार्थी की नौकरी में नियुक्ति दिनांक 22.09.1994 अंकित है तथा अप्रार्थी दिनांक 17.07.2009 को सेवानिवृत हो चुका है। जहां तक अप्रार्थी की जाति गर्ग अंकित होने का प्रश्न है जो गोत्र उपजाति है, जिसमें गरूड़ा, गारों सम्मिलित है, जो अनुसूचित जाति में आते है। उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 4051 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, जिसके वर्तमान आधार नम्बर 3923 रकबा 1.21 हैक्टर है जो ग्राम देवलियाकलां तहसील मिनाय में स्थित है। अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा दिनांक 26.11.1975 को किया गया है तथा आवंटन नियमों की पालना के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। प्रार्थी द्वारा आक्षेपीय भूमि के आवंटन पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया है अर्थात लगभग 41 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, केवल मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो साक्ष्य के अभाव में ग्राहय योग्य नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात् विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन है

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई, आवंटन हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा वरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नहीं था, इसके साथ ही विवादित भूमि पर स्वयं का पुराना कब्जा काश्त होने बाबत् उनके द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य के अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत कथनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का यह कथन कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय चिकित्सालय विजयनगर में कार्यरत था। जबकि जिला आयुर्वेद अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक 4797–4804 दिनांक 17.07.2009 के अनुसार अप्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 22.09.1984 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.07.2009 अंकित है जबकि विवादित भूमि का आवंटन उनके पक्ष में दिनांक 26.11.1975 को अर्थात राजकीय सेवा में आने से पूर्व ही हो चुका था। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक करवाया गया हो। अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि के आवंटन में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र विवादित भूमि के आवंटन पश्चात् लगभग 41 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner